अपील सूचना अधिकार संख्या 07/2019 (RCMS 2019/00009) श्री गोविन्दकरण राठौड निवासी 79 हनुवन्त बी, बीजेएस नगर, जोधपुर(राज.) मो.नं. 98293-10313 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.06.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गोविन्दकरण राठौड स्वयं उपस्थित नहीं हुए। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **अपीलार्थी श्री गोविन्दकरण राठौड ने** लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार(राजस्व), घड़साना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29.10.2018 को प्रस्तुत करके पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण, उसने यह अपील इस न्यायालय में पेश कर प्रार्थना की है कि लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति लगाकर अपीलार्थी को प्रदान करवाई जाये और उसे निःशुल्क वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी श्री गोविन्द करण राठौड़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.10.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, घडसाना से निम्न सूचना चाही थीः

1. गांव रोजडी के नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 14.12.59 एवं गांव रोजड़ी का नामान्तरकरण तहसील घड़साना 25 दिनांक 23.03.93 को **किस आधार** पर भरे गये। इन दस्तावेजों की नकले प्रदान करें।
2. गांव रोजड़ी (चक नं. 13 आरजेडी) के खसरा नम्बर 14, 19, 49, 53 धने सिंह के नाम से थे, वक्ता सेटलमेन्ट के समय ही धनैसिंह जी के नाम की प्रथम जमाबन्दी प्रदान रके। तहसील अनूपगढ़ की।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. स्व. धनैसिंह जी ठीकाणा रोझडी के जागीरदार थे। जागीर रिज्यूम के समय उनके नाम कौन–कौन सी भूमि थी, संवत 2011 की जमाबन्दिया प्रदान करें, जागीर कमीश्नर में जमा नहीं हुई है। भेजी तो कब बतावें।
4. नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 25.03.93 से पूर्व नामान्तरकरण में दर्शायी भूमि खसरा नम्बर 78/38, 78/40 मु.नं. 68 एवं कि.नं. 6 ता 20 स्व. सुगनकंवर पत्नी धनेसिंह के नाम किस प्रकार हुई वो दस्जावेज भेजे, तहसील घड़साना
5. जागीर रोजड़ी का वक्त सेटलमेन्ट का रिकॉर्ड से पर्सनल प्रोपर्टी सूची सम्पति सूची, खुद काश्त भूमि की सूची प्रदान करें। रिकॉर्ड जिला कार्याल्य में उपनिदेशक राज्य, राज्य अभिलेखागार, जयपुर में जमा नहीं हुई है।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), घड़साना ने अपने पत्रांक भू.अ./2018/3263 दिनांक 04.12.2018 से अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ को निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार है :

क्र. सं.	सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना	उपलब्ध सूचना का विवरण
1	गांव रोजडडी के नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 14.12.59 एवं गांव रोजड़ी का नामान्तरकरण तहसील घड़साना 25 दिनांक 23.03.93 को किस आधार पर भरे गये। इन दस्तावेजों की नकले प्रदान करें।	गांव रोजड़ी के नामान्तरकरण संख्या 24 दिनिांक 14.12.59 इस कार्यालय में जमा नहीं है। तहसील घडसाना का गांव 13 आरजेडी का नामन्तरकरण संख्या 25 विरासतन इंतकाल है। जिसकी प्रति संलग्न है। नामान्तरण में वर्णित दस्तावेजों की प्रति नामान्तरण रजिस्टर में संलग्न नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2	गांव रोजड़ी (चक नं. 13 आरजेडी) के खसरा नम्बर 14, 19, 49, 53 धने सिंह के नाम से थे, वक्ता सेटलमेन्ट के समय ही धनैसिंह जी के नाम की प्रथम जमाबन्दी प्रदान रके। तहसील अनूपगढ़ की।	सेटलमेन्ट के समय की प्रथम जमाबन्दी इस कार्यालय में जमा नहीं है।
3	स्व. धनैसिंह जी ठीकाणा रोजडी के जागीरदार थे। जागीर रिज्यूम के समय उनके नाम कौन–कौन सी भूमि थी, संवत 2011 की जमाबन्दिया प्रदान करें, जागीर कमीश्नर में जमा नहीं हुई है। भेजी तो कब बतावें।	तहसील घडसाना की स्थापना वर्ष 1987(संवत 2044) में हुई है। संवत 2011 की जमाबन्दियां कार्यालय में जमा नहीं है।
4	नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 25.03.93 से पूर्व नामान्तरकरण में दर्शायी भूमि खसरा नम्बर 78/38, 78/40 मु.नं. 68 एवं कि.नं. 6 ता 20 स्व. सुगनकंवर पत्नी धनेसिंह के नाम किस प्रकार हुई वो दस्जावेज भेजे, तहसील घड़साना	नामान्तरण संख्या 25 दिनांक 23.03.93 से पूर्व कोलोनाईजेशन विभाग की अन्तिम जमाबंदी में उक्त भूमि स्व. सुगनकंवर पत्नी धनेसिंह के नाम से ही दर्ज है। इनके नाम किस प्रकार हुई, वो दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं
5	जागीर रोजड़ी का वक्त सेटलमेन्ट का रिकॉर्ड से पर्सनल प्रोपर्टी सूची सम्पति सूची, खुद काश्त भूमि की सूची प्रदान करें। रिकॉर्ड जिला कार्याल्य में उपनिदेशक राज्य, राज्य अभिलेखागार, जयपुर में जमा नहीं हुई है।	उक्त रिकॉर्ड इस कार्यालय में जमा नहीं है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त दी गई सूचना के अलावा इससे सम्बन्धित अन्य सूचना आप पूर्व तहसील अनूपगढ या जिला अभिलेखगार से प्राप्त कर सकते है।

-Sd-

तहसीलदार (भू.अ.)
घड़साना

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में तहसीलदार (भू.अ.), घडसाना ने अपने पत्रांक भू.अ./2019/87 दिनांक 28.01.2019 से निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत किया है:

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी गोविन्दकरण राठौड द्वारा सूचना के अधिकार के तहत पेश की गई अपील के सम्बन्ध में टिप्पणी निम्न प्रकार से है:

1. अपील में दर्ज क्र.सं. 5 में लिखा गया कि बिन्दु संख्या 1 में नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 14.12.1959 हेतु प्रार्थना पत्र अनूपगढ तहसीलदार को प्रेषित नहीं किया गया। ये कहना गलत है क्योंकि इस कार्यालय के पत्रांक भू.अ./2018/3263 दिनांक 04.12.2018 की प्रतिलिपि पत्र क्रमांक 3264 दिनांक 04.12.2018 को ही तहसीलदार, अनूपगढ को प्रेषित की गई है। चित्र प्रति संलग्न है। इसीप्रकार चक 13 आरजेडी तहसील घडसाना के इन्तकाल रजिस्टर मं दर्ज नामान्तरण सख्या 25 दिनांक 23.03. 1993 के साथ अन्य कागजात चस्पा नहीं है। मूल इंतकाल रजिस्टर अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं

2. अपील में दर्ज क्रम संख्या 06 में लिखा गया है कि बिन्दु संख्या 2 से 5 हेतु कार्यालय में रिकॉर्ड जमा नहीं होने से अप्रार्थी को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सम्बन्धित विभाग/कार्यालय को प्रेषित

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कर प्रार्थी को सूचित नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्रांक भू.अ./2018/3263 दिनांक 04.12.2018 में लिये गये बिन्दु संख्या 02 से 5 का रिकॉर्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना लिखा गया था जिसकी प्रतिलिपि तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाई गई थी। पत्र की चित प्रति संलग्न है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने व अन्य कार्यालय से रिकॉर्ड प्राप्त करने की सूचना देने में इस कार्यालय द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई है। पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
घड़साना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूंप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु सख्ंश 1 से 5 की सूचना चाही गई है जिसकी सूचना लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में जमा नहीं है, इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 04.12.2018 को दिया गया उत्तर सही है **उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।** इसलिए **अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), घड़साना को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर